



ई- विवरणिका

E- Prospectus 2025 -2026

● **महाविद्यालय का परिचय –**

महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय नानकमत्ता, उत्तराखंड के जनपद ऊधमसिंह नगर के मुख्यालय से उप तहसील नानकमत्ता में शासनादेश संख्या 896/XXIV-C-2/2021 -14(06) 2020 के देहरादून दिनांक 14 अक्टूबर 2021में स्नातक महाविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। सत्र 20221-22 में प्रथम सत्र विज्ञान एवं कला संकाय प्रारंभ हुआ। जिसमें कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गृह विज्ञान, चित्रकला, भूगोल, राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र विषय एवं विज्ञान संकाय में गणित, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान विषय सम्मिलित रहे। वर्तमान में भी इन्हीं विषयों में पठन – पाठन संचालित है। महाविद्यालय में सत्र 2022-23 से ऊ0मु0 वि0 वि0 का अध्ययन केंद्र है। कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के पत्रांक संख्या केयू/मान्यता/संबद्धता/2023/260 के अनुपालन में सत्र 2021-22 हेतु सभी विषयों में 80 सीटों के साथ अस्थायी संबद्धता प्राप्त हुई। महाविद्यालय में पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध है। शिक्षण कार्य हेतु 01 स्मार्ट बोर्ड एवम् 01 प्रोजेक्टर उपलब्ध है। पाठ्येतर क्रिया कलाओं के अंतर्गत एन0 एस0 एस0, कैरियर परामर्श, रोवर रेंजर्स, क्रीड़ा गतिविधियां आदि विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन समय – समय पर किया जाता है।

- 1- **करियर कॉउन्सलिंग एण्ड प्लेसमेंट सैल** – इसमें छात्रों के करियर के विषय में चयन, तैयारी और नियोजन संबंधी परामर्श दिया जाता है जिसका उद्देश्य अनिश्चिता, बेचैनी ततः भावनात्मक तनावों का निवारण करना है ताकि वे सुदृढ़ तथा सशक्त होकर सही निर्णय ले सकें। प्रतियोगी परीक्षाओं, साक्षात्कारों एवं व्यक्तित्व विकास के परिप्रेक्ष्य में यहाँ व्याख्यानो और सेमिनारों का आयोजन भी किया जाता है, साथ ही विभिन्न निजी और सरकारी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।
- 2- **पुस्तकालय** – महाविद्यालय के पुस्तकालय से स्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों को 02 पुस्तकें निर्गत की जाती है। आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। महाविद्यालय में ई-ग्रंथालय की सुविधा उपलब्ध है।
 - पुस्तकें सामान्यतः पंद्रह दिन के लिए निर्गत की जाती है। विद्यार्थी पंद्रह दिन बीत जाने पर पुस्तक बदल सकते हैं।
 - विद्यार्थियों को महाविद्यालय पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें जमा किए बिना नो – ड्यूज (अदेय प्रमाण पत्र) नहीं दिया जाएगा।

- पुस्तकालय से पुस्तक लेने के लिये विद्यार्थियों को स्वयं उपस्थित होना है , बिना परिचय पत्र के पुस्तकें निर्गत नहीं की जाएगी। प्रत्येक कक्षा की पुस्तक निर्गत करने हेतु समय सारणी निर्धारित की जाएगी । विद्यार्थी निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होकर ही पुस्तक ले सकेगा। समय सारणी समय- समय पर सूचना पट पर चस्पा कर दी जाएगी।
- 3- **वाचनालय** – महाविद्यालय में छात्र – छात्राओं के लिए वाचनालय की व्यवस्था है, जिसमें हिन्दी दैनिक समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं मंगाई जाती है। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने खाली वादनों में वाचनालय में बैठकर इन पत्र- पत्रिकाओं को पढ़कर समय का सदुपयोग करें।
- 4- **राष्ट्रीय सेवा योजना** – स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना की व्यवस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षणेत्तर कार्यकलापों द्वारा समाज की सेवा करना है । वर्तमान में इसकी एक इकाई संचालित हैं। इकाई हेतु निर्धारित 100 छात्र- छात्राओं का पंजीकरण किया जाता है ।
- 5- **क्रीडा एवं खेल कूद** – महाविद्यालय में वार्षिक क्रीडा प्रतियोगिता संचालित की जाती है साथ ही अंतरमहाविद्यालयी क्रीडा प्रतियोगिता हेतु महाविद्यालय के खिलाड़ी छात्र – छात्राएं करते है।
- 6- **छात्रवृत्तियाँ तथा आर्थिक अनुदान** – अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति / अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है । इस हेतु सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र , पिता का आय प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पुराना ना हो , गत वर्ष उत्तीर्ण अंक तालिका (यदि गैप है तो शपथ पत्र) आदि के साथ ही ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है, निर्धारित तिथि तक अपना आवेदन अवश्य प्रस्तुत कर दें। मुख्य मंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति के अंतर्गत पाठ्यक्रम में वर्ष वार वरीयता सूची में प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र – छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है।
- 7- **छात्र संघ** – लिंगदोह समिति की संस्तुतियों के आधार पर कुमाऊँ विश्वविद्यालय छात्र संघ संविधान के अधीन प्रत्येक वर्ष छात्र संघ के चुनाव कराए जाते हैं। जिसमें छात्रों को सम्प्रेषण कौशल तथा लोकतान्त्रिक नेतृत्व क्षमता का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है। इस संदर्भ में सभी विद्यार्थियों को सचेत किया जाता है कि छात्र संघ निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री अथवा पोस्टर दीवारों पर लिखना , स्टिकर आदि महाविद्यालय या शहर में नहीं लगाए जाएंगे। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट निर्देश किए जा चुके हैं।
- 8- **सांस्कृतिक परिषद**- छात्र- छात्राओं के सर्वांगीण चारित्रिक विकास में सांस्कृतिक विभाग का विशेष योगदान होता है । महाविद्यालय में सांस्कृतिक विभाग के तत्वाधान में राष्ट्रीय पर्व एवं वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जाता है।
- 9- **विभागीय परिषद** – स्नातक स्तर के सभी विषयों में विभागीय परिषद का गठन किया जाता है। इन परिषदों के तत्वाधान में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। विचार संगोष्ठी , सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सामान्य ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों का उपयोगी ज्ञान छात्रों करना भी इन परिषदों का मुख्य उद्देश्य है।
- 10- **शास्ता मण्डल** – महाविद्यालय का शास्ता मंडल परिसर में सामान्य अनुशासन सुनिश्चित करते हुए महाविद्यालय प्रशासन के सलाहकार करता है। इसमें मुख्य शास्ता तथा अन्य सदस्य शास्ता होते है।
- 11- **महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ** – इसका गठन संस्थागत छात्राओं एवं महिला कार्मिकों को समुचित सुरक्षा प्रदान करने व सम्पूर्ण समस्याओं के समाधान हेतु किया गया है। छात्राएं अपनी किसी भी समस्या के विषय में यहाँ संपर्क कर सकती है।
- 12- **छात्र शिकायत निवारण प्रकोष्ठ** – इसका गठन संस्थागत छात्र – छात्राओं को समुचित सुरक्षा प्रदान करने व सम्पूर्ण समस्याओं के समाधान हेतु किया गया है।

- 13- **एंटी - रैगिंग समिति** – महाविद्यालय परिसर में रैगिंग पूर्णतया निषिद्ध है। यदि रैगिंग में किसी छात्र – छात्रा को संलिप्त पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। रैगिंग से संबंधित शिकायत हेतु छात्र महाविद्यालय की वेबसाइट एवं भारत सरकार की वेबसाइट <https://www.antiragging.in/affidavitaaffiliatedform.php> पर की जा सकती है।
- 14- **उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (UOU) अध्ययन केंद्र** – महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय नानकमत्ता में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र वर्ष 2023 से संचालित किया जाता है। छात्रों के परामर्श सत्र नियमित रूप से महाविद्यालय में आयोजित किए जाते हैं।

नोट – बी0 ए0 पाठ्यक्रम में कोर्स संचालित है। पाठ्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय के नियमानुसार नियमित पाठ्यक्रम के साथ प्रवेश लिया जा सकता है।

सामान्य नियम

- 1- महाविद्यालय द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों के संबंध में निर्गत सूचनाओं में निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।
- 2- परिसर में शांति व्यवस्था बनाना और कक्षाओं में व्यवधान उत्पन्न ना करना विद्यार्थियों की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- 3- छात्र – छात्राएं अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित प्रभारी से संपर्क करेंगे। किसी भी परिस्थिति में छात्र -छात्राएं अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित प्रभारी से संपर्क करेंगे किसी भी परिस्थिति में छात्र- छात्राएं सीधे प्राचार्य से नहीं मिल पाएंगे।
- 4- महाविद्यालय संचालन हेतु समय – समय पर निर्देशित सूचनाएं सूचना पट पर लगा दी जाती है , छात्र -छात्राएं प्रतिदिन सूचना पट पर लगाई गयी जानकारी पर ध्यान दें।
- 5- विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अनुशासित रहते हुए निम्नलिखित बातों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।
- 6- विद्यार्थियों द्वारा अपने पास कोई भी शस्त्र लेकर घूमना अपराध होगा जिस हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- 7- महाविद्यालय परिसर चार दीवारी तथा कक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का पोस्टर बैनर लगाना वर्जित है।
- 8- विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान करना वर्जित है।
- 9- महाविद्यालय की संपत्ति विद्यार्थियों की अपनी संपत्ति है फर्नीचर आदि की सुरक्षा करना प्रत्येक विद्यार्थी का दायित्व होगा।
- 10- महाविद्यालय के विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय में स्वच्छता एवं पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति जागरूक रहेंगे।
- 11- महाविद्यालय के मुख्य द्वार के आसपास तथा महाविद्यालय परिसर में छात्र- छात्राओं द्वारा वाहन खड़ा करना निषेध है। प्रत्येक छात्र अपना वाहन पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करेंगे।
- 12- महाविद्यालय परिसर में कक्षाओं के भीतर मोबाईल फोन का प्रयोग वर्जित है।
- 13- उत्तराखंड शासन एवं उच्च शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। अतः छात्र – छात्राओं को ड्रेस कोड का पूर्णतः पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

महाविद्यालय में संचालित विषय

क्रम संख्या	कला संकाय (विषय)	विज्ञान संकाय (विषय)
01	हिन्दी	जन्तु विज्ञान
02	अंग्रेजी	वनस्पति विज्ञान
03	संस्कृत	रसायन विज्ञान
04	अर्थशास्त्र	भौतिक विज्ञान
05	गृह विज्ञान	गणित
06	चित्रकला	
07	शिक्षाशास्त्र	
08	राजनीति विज्ञान	
09	समाजशास्त्र	
10	इतिहास	
11	भूगोल	

प्रवेश नियम (कुमाऊँ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय हेतु)

(शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रभावी) (NEP)

1-1 विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये नियमों के अंतर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में (Online) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित प्राचार्य / सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएंगे। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।

1-2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर प्रवेश Portal अंतिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जाएगा। प्रवेश तिथि के निर्धारण / परिवर्तन / विस्तार के संबंध में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

1-3 महाविद्यालय में प्रवेश हेतु महाविद्यालयों द्वारा अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर प्रवेश समिति द्वारा अनंतिम योग्यता सूची तैयारी की जायेगी, अनन्तिम योग्यता सूची तैयार करने के लिये प्रवेश समितियाँ समर्थ पोर्टल से आकंड़े लिए जाएंगे। महाविद्यालय अनन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया संपादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे, जिनकी समस्त अहर्ताओं तथा Online प्रवेश आवेदन पत्र / फॉर्मेट में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर महाविद्यालय स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।

1-4 Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय संबंधित महाविद्यालय में अपने आनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिनार / आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

1-5 अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वेबसाइट में प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ – पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के परिसरों द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे।

1-6 किसी पाठ्यक्रम के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

1-7 (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम / कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दंडित किया जाता है तो उसका प्रवेश संबंधित महाविद्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप में प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ग) यदि किसी छात्र विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद- विवाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।

(घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस / प्रशासन द्वारा निरुद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरुद्ध की गयी अवधि के लिये महाविद्यालय / विश्वविद्यालय परिसर से तुरंत निलंबित कर दिया जायेगा तथा दंडित किए जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

1-8 सम्बन्धित प्राचार्य अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी / समिति युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार /निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अंतिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

1-9 (क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय / संस्थान / विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता करने पर दंडित किया गया हो , ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर / महाविद्यालय / संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दंडित किया गया हो , ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गए दंड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर / महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश 1.7 (ख) के अंतर्गत " धोखाधड़ी से प्रवेश लेना" माना जायेगा , तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर / महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी जिसकी सूचना परिसर / महाविद्यालय / संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्यदिवसों के अंतर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जाएगी ।

1-10 प्रवेशरत् किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रोविजनल प्रमाण – पत्र (Migration Certificate) महाविद्यालय में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

1-11 अनिसुचित जाति/ जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखंड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा , जो कि निम्नवत् है:

1- अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2- अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3- अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत
4- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 प्रतिशत(निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)
(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत सीटें (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त), (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण संबंधी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखंड शासन द्वारा निर्धारित वैद्यता अवधि से पूर्व का न हो ।)	

नोट: स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं , भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखंड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा –

1- महिलायें	30 प्रतिशत
2- भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
3- दिव्यांग	04 प्रतिशत
4- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा , किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा।(उत्तराखंड शासन द्वारा नीतिगत संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

1-12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय , नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधाएं प्रदत्त की जाएगी ।

- (1) Extension in date of admission up to 30 days
- (2) Relaxation in cut- off percentage up to 10 % subject to minimum eligibility requirement.
- (3) Waiving of domicile requirements.

1-13 स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा।

(क) एन0 सी0 सी0 'बी' 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी	25 अंक
(ख)राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर)	20 अंक
(ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र / पुत्री / पत्नी/ सगा भाई/बहन -	20 अंक
(घ) जम्मू – कश्मीर में तैनात अर्ध – सैनिकों के पुत्र / पुत्री पति / पत्नी / सगा भाई / बहन तथा जम्मू कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र / पुत्री / पति/ पत्नी/ सगा भाई / बहन	20 अंक
(ङ) अन्तराष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	50 अंक
(च) अंतर – विश्वविद्यालय / राज्य / राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने पर	40 अंक
(छ) शासन द्वारा / खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर	30 अंक
(ज) राज्य / अंतर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	25 अंक

- (झ) अंतर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर 25 अंक
- (ञ) अंतर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता 25 अंक
- (ट) जिला शिक्षा अधिकारी / सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला / मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर 25 अंक
- (ठ) अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर / महाविद्यालय / संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर 25 अंक

नोट – उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 50 अंकों का लाभ दे होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अंतर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

1-14 (क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय / विभाग / संकाय / महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय / विभाग / संकाय / महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित महाविद्यालयों द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक उस पाठ्यक्रम की योग्यता सूची (Merit Index) के अंतर्गत आने तथा स्थान रिक्त होने की दशा में ही प्रवेश अनुमन्य होगा।

(ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात महाविद्यालय स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

1-15 कुमाऊँ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों / परिसरों / संस्थानों में बिना स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी0 सी0) के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं / पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किए जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय में स्थानांतरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

1-16 (क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी विशेष परिस्थितियों में प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक ततः प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा सकती है।

(ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से संबंधित वाद – विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय / परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।

1-17 अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय / परिसर में प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से संबंधित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विनिष्टीकरण कर दिया जाएगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के सम्बन्ध में भी लागू होगा।

1-18 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग सम्बन्धी विनियम 2009 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थाओं में रैगिंग प्रतिबंधित एवं निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाये जाने पर संबंधित छात्र – छात्रा के विरुद्ध नियमानुसार दंडनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

वैधानिक नियंत्रण विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

प्रवेश शुल्क

क्रम सं	राजकोषीय शुल्क	धनराशि	क्रम सं	छात्र निधि शुल्क	धनराशि
1.	प्रवेश	3.00	1.	क्रीड़ा	300.00
			2.	वाचनालय	30.00
2.	प्रयोगशाला	240	3.	पत्रिका शुल्क	50.00
			4.	परिचय पत्र	25.00
3.	विकास	20.00	5.	निर्धन छात्र सहायता	10.00
			6.	कंप्यूटर इंटरनेट शुल्क	80.00
4.	महंगाई	240.00	7.	सांस्कृतिक परिषद	45.00
			8.	विभागीय परिषद	50.00
5.	पुस्तकालय	3.00	9.	छात्र संघ	45.00
			10.	प्रांगण विकास	50.00
			11.	करियर काउंसिलिंग	30.00
			12.	विद्युत एवं जल कर शुल्क	60.00
			13.	विविध शुल्क / यूथ रेड क्रास	80/20
			14.	प्रसाधन शुल्क	50.00
-	-	-	15.	प्रयोगात्मक सामग्री	60.00
			16.	महाविद्यालय दिवस	20.00
-	-	-	17.	कासनमनी	200.00
			18.	रोवर रेंजर	30.00
			19.	प्रयोगशाला प्रायोगिक मौखिक शुल्क	50.00-
			20.	पी. टी. ए. शुल्क	30.00

प्राचार्य, प्राध्यापक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी

प्राचार्य - प्रो० अंजला दुर्गापाल

क्रम ० संख्या ०	नाम	पद	विषय / विभाग
01	प्रो० विद्याशंकर शर्मा	प्रोफेसर	अंग्रेजी
02	प्रो० मृत्युंजय शर्मा	प्रोफेसर	भौतिक विज्ञान
03	डॉ० निवेदिता अवस्थी	असिस्टेंट प्रोफेसर	गृह विज्ञान
04	श्रीमती ममता सुयाल	असिस्टेंट प्रोफेसर	चित्रकला
05	श्रीमती चम्पा टम्टा	असिस्टेंट प्रोफेसर	भूगोल
06	डॉ० उमेश चंद्र जोशी	असिस्टेंट प्रोफेसर	संस्कृत
07	डॉ० ललित सिंह बिष्ट	संविदा शिक्षक	रसायन विज्ञान
08	डॉ० स्वाती पंत लोहनी	संविदा शिक्षक	शिक्षा शास्त्र
09	डॉ० दर्शन सिंह मेहता	नितांत अस्थायी शिक्षक	इतिहास
10	डॉ० मंजुलता जोशी	नितांत अस्थायी शिक्षक	वनस्पति विज्ञान
11	डॉ० निशा परवीन	नितांत अस्थायी शिक्षक	अर्थशास्त्र
12	डॉ० शशि प्रकाश सिंह	नितांत अस्थायी शिक्षक	समाजशास्त्र
13	डॉ० रवि जोशी	नितांत अस्थायी शिक्षक	राजनीति विज्ञान
14	डॉ० आशा गड़िया	नितांत अस्थायी शिक्षक	जन्तु विज्ञान
15	डॉ० निशा आर्या	नितांत अस्थायी शिक्षक	हिन्दी

कार्यालय कर्मचारी

क्रम ० संख्या ०	नाम	पद
1.	श्री महेश सिंह	वरिष्ठ सहायक
2.	श्रीमती गंगा देवी	कनिष्ठ सहायक

परिचारक कर्मचारी

क्रम ० संख्या ०	नाम	पद
1.	श्री रामजगदीश	अनुसेवक
2.	श्री विपिन सिंह थापा	प्रयोगशाला परिचर
3.	श्री संतोष चंद	अनुसेवक
4.	श्री सुनील प्रकाश	पर्यावरण मित्र


Principal
Maharana Pratap Govt. Degree College
Nanakmatta (U.S. Nagar)

प्राचार्य
महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय
नानकमत्ता (ऊधमसिंह नगर)